न्यायालय– सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन जिला–सतना (म0प्र0)

निर्णय
"आज दिनांक 31.07.2026 को घोषित"

Registration No. - SC NIA/161/2017
Filing No. - SC NIA /1362/2017
CNR No. - MP1905-001925-2017
Filing Date - 20-11-2017
Date of Registration - 20-11-2017

विपिन कुमार गुप्ता पिता हुकुमचन्द उम्र 30 वर्ष सा0 रामनगर (सतना कैम्प) वार्ड नं0 14 थाना/तहसील रामनगर जिला सतना (म0प्र0)

..... **परिवादी**

वि रू द्ध

पुष्पेन्द्र पटेल पिता सौखीलाल पटेल उम्र 32 वर्ष सा0 हटवा (सगौनी) नई बस्ती थाना/तहसील रामनगर जिला सतना (म0प्र0)

..... **अभियुक्त**

परिवादी द्वारा श्री बी0 एम0 शर्मा अधिवक्ता।
अभियुक्त द्वारा श्री प्रभाकर सिंह अधिवक्ता।

फाईलिंग दिनांक	24.10.2017
अपराध विवरण दिनांक	08.09.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	09.10.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	31.07.2026
निर्णय की तारीख	31.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कुछ नहीं।

31/07/26
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	विचारण के दौरान धारा 428 द.प्र.सं. के तहत निरोध की अवधि
01.	पुष्पेन्द्र पटेल पिता सौखी लाल पटेल	17.05.2022	17.05.2022	धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	दोषमुक्त	कुछ नहीं।	कुछ नहीं। दिनांक 13/03/26 से 31/07/26

परिवादी साक्ष्य सूची–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
प.सा.–1	श्री विपिन कुमार गुप्ता	परिवादी

परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज की सूची–

सं. कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्र.पी. 01 /प.सा. 01	रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 18.09.2017 का बंद लिफाफा
02	प्र.पी. 02/प.सा. 01	डाक रसीद दिनांक 18.09.2017
03	प्र.पी. 03/प.सा. 01	बैंक स्टेटमेंट दिनांक 14.09.2017
04	प्र.पी. 04/प.सा. 01	भारतीय स्टेटबैंक का चेक क्रमांक '511251' दिनांकित 01.07.2017
05	प्र.पी. 05/प.सा. 01	भारतीय स्टेटबैंक का चेक क्रमांक '511252'

31/07/26
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

		दिनांकित 01.07.2017
06	प्र.पी. 06 / प.सा. 01	रजिस्टर्ड मांग नोटिस दिनांक 18.09.2017

बचाव साक्ष्य सूची–

सं. कं.	नाम	विवरण
ब.सा.–1	श्री पुष्पेन्द्र पटेल	अभियुक्त स्वयं

बचाव प्रदर्शों की सूची–

सं. कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्र.डी. 01 / ब.सा. 01	बोलेरो क्रमांक MP 19 T 3226 की किश्त चुकाने की एन0ओ0सी0
02	प्र.डी. 02 / ब.सा. 01	बोलेरो क्रमांक MP 19 T 3226 की किश्त चुकाने की एन0ओ0सी0

// निर्णय //

1. अभियुक्त पर परिवादी से किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन स्वरूप कुल राशि 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) के भुगतान हेतु परिवादी को प्रदत्त भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर का चेक क्रमांक '511251', '511252' राशि क्रमशः 50,000/–, 50,000/–रूपये (कुल एक लाख रूपये) दिनांकित 01.07.2017 अभियुक्त के बैंक खाते मे "खाता बंद" के कारण अनादरित होने का परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अत्रपश्चात अधिनियम से संबोधित) की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

2. परिवाद पत्र संक्षेप मे यह है कि परिवादी ग्राम रामनगर थाना/तहसील रामनगर का स्थायी निवासी है तथा दुकानदारी का काम करता है। परिवादी दुकानदारी का काम करता है तथा दुकान आने जाने के कारण आरोपी के अच्छे संबंध व जान पहचान थी। आरोपी अपनी बोलेरो जीप क्रमांक MP 17 T 3226 के बैंक किस्त जमा करने के लिये कर्ज (ऋण) के रूप में 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मांग किया तथा यह कहा कि कर्ज की रकम एक माह के अंदर अदा कर दूंगा। आरोपी के बात में विश्वास कर परिवादी ने दिनांक 28.06.2017 को एक मुश्त कर्ज (ऋण) के रूप में

31/07/21
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

1,00,000/– (एक लाख रूपये) नगद दिया। उक्त कर्ज की रकम भुगतान हेतु एक माह बाद भुगतान हेतु आरोपी के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर के दो चेक क्रमांक '511251' में 50,000/– (पचास हजार रूपये) एवं चेक क्रमांक '511252' में 50,000/– (पचास हजार रूपये) के दिनांक 01.07.2017 को कर्ज की रकम भुगतान हेतु कहकर दिया की अभी खाता में रूपया नहीं है एक या दो माह में वह अपने खाता में रूपया डाल दूंगा तो आप बैंक में उक्त चेक लगाकर भुगतान प्राप्त कर लेना।

3. परिवाद पत्र आगे संक्षेप मे यह है कि आरोपी द्वारा दिये गये चेक को भुगतान नगदी कराने हेतु परिवादी द्वारा अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर के खाता क्रमांक 30999602325 में जमा किया था जिसके नगदीकरण हेतु दिये गये चेक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर द्वारा दिनांक 14.09.2017 को खाता बंद होने व पर्याप्त निधि न होने की टीप के वापसी पश्चात परिवादी दूसरे दिन आरोपी के घर जाकर संपर्क किया व बताया कि उसने अपने खाता में चेक जमा किया था किन्तु खाते में पर्याप्त राशि न होने व खाता बंद होने के कारण चेक बैंक से वापस (अनादरित) बाउंस कर दिया गया है। परिवादी को रूपयों की बहुत आवश्यकता है आप अभियुक्त उस ऋण की रकम को अदा कर दे व अपना चेक वापस कर ले तो आरोपी के द्वारा उक्त ऋण की रकम देने से इंकार कर दिया गया। आरोपी के द्वारा ऋण की रकम देने से इंकार करने पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर आरोपी को दिनांक 18.09.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कराई गई जो पोस्ट ऑफिस द्वारा इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुई कि नोटिस प्राप्तकर्ता अनिश्चितकालीन के लिये घर से बाहर है। आरोपी द्वारा चेक ग्राम रामनगर में जारी किया तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर थाना/तहसील रामनगर के अंतर्गत डिसऑनर हुआ है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। आरोपी द्वारा छल कपट पूर्वक परिवादी की रकम हड़पने की नियत से फर्जी चेक जारी किया जिससे चेक डिसऑनर हुआ। अतः व्यथित होकर हस्तगत परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

4. अभियुक्त द्वारा आक्षेपित अभियोग अस्वीकार कर प्रतिरक्षा चाही तथा धारा 313 दंप्रसं. के अधीन परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने व्यक्त किया कि उसने गाडी क्रमांक MP 19 T 3226 के उधार को वर्ष 2016 में समाप्त कर दिया था। उसने परिवादी से कोई उधार नहीं लिया है। वह दिनांक 18.06. 2016 से निरंतर जेल में निरूद्ध है, इसलिये परिवादी से उधार लेना असंभव

31/01/26

(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

है। अभियुक्त ने कथित चेक पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार किया है। अभियुक्त को बचाव साक्ष्य में प्रवेश कराये जाने पर उसने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया तत्पश्चात् अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की गई।

5. **प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि–**

1. क्या अभियुक्त ने परिवादी के ऋण या दायित्व के उन्मोचन स्वरूप कुल राशि 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) के भुगतान हेतु परिवादी को प्रदत्त भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर का चेक क्रमांक '511251', '511252' राशि क्रमशः 50,000/–, 50,000/–रूपये (कुल एक लाख रूपये) दिनांकित 01.07.2017 परिवादी को प्रदत्त किया ?

2. क्या उक्त चेक परिवादी द्वारा विहित समयावधि मे भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने पर अभियुक्त के खाते में ''खाता बंद'' के कारण अनादरित हुआ?

3. क्या परिवादी ने अनादरण की सूचना प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि के भीतर लिखित मांग सूचना पत्र अभियुक्त पर निर्वाह किया ?

4. क्या मांग सूचना पत्र के अभियुक्त पर निर्वाह के 15 दिवस की अवधि के भीतर अभियुक्त द्वारा परिवादी को शोध्य राशि का भुगतान नही किया गया?

5. क्या परिवाद विहित समयावधि मे प्रस्तुत किया गया है?

6. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश, यदि कोई हो?

6. परिवादी की ओर से अपना पक्ष प्रमाणित करने हेतु स्वयं के शपथपत्रीय साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 18.09.2017 का बंद लिफाफा प्र0पी0–1, डाक रसीद दिनांक 18.09.2017 प्र0पी0–2, बैंक स्टेटमेंट दिनांक 14.09.2017 प्र0पी0–3, भारतीय स्टेट बैंक का चेक क्रमांक 511251 दिनांकित 01.07.2017 प्र0पी0–4, भारतीय स्टेट बैंक का चेक क्रमांक 511252 दिनांकित 01.07.2017 प्र0पी0–5, रजिस्टर्ड मांग नोटिस दिनांक 18.09.2017 प्र0पी0–6 प्रस्तुत किया है।

31/07/20

(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

7. अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में स्वयं के मौखिक साक्ष्य एवं वाहन के ऋण की किश्ते संदाय किये जाने के संबंध में प्राप्त एन. ओ.सी. प्र0डी0–1 व प्र0डी0–2 के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।

–: सकारण निष्कर्ष :–

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

8. विपिन कुमार गुप्ता प0सा0–1 ने उसके शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में बताया है कि परिवादी दुकानदारी का काम करता है तथा दुकान आने जाने के कारण आरोपी के अच्छे संबंध व जान पहचान थी। आरोपी अपनी बोलेरो जीप क्रमांक MP 17 T 3226 के बैंक किस्त जमा करने के लिये कर्ज (ऋण) के रूप में 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मांग किया तथा यह कहा कि कर्ज की रकम एक माह के अंदर अदा कर दूंगा। आरोपी के बात में विश्वास कर परिवादी ने दिनांक 28.06.2017 को एक मुश्त कर्ज (ऋण) के रूप में 1,00,000/– (एक लाख रूपये) नगद दिया। उक्त कर्ज की रकम भुगतान हेतु एक माह बाद भुगतान हेतु आरोपी के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर के दो चेक क्रमांक '511251' में 50,000/– (पचास हजार रूपये) एवं चेक क्रमांक '511252' में 50,000/– (पचास हजार रूपये) के दिनांक 01.07.2017 को कर्ज की रकम भुगतान हेतु कहकर दिया की अभी खाता में रूपया नहीं है एक या दो माह में वह अपने खाता में रूपया डाल दूंगा तो आप बैंक में उक्त चेक लगाकर भुगतान प्राप्त कर लेना।

9. साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि प्र0पी0 4 व प्र0पी0 5 का चेक जमा किये जाने पर दिनांक 14.09.2017 को खाता बंद होने व पर्याप्त निधि न होने की टीप के वापसी पश्चात परिवादी दूसरे दिन आरोपी के घर जाकर संपर्क किया व बताया कि उसने अपने खाता में चेक जमा किया था किन्तु खाते में पर्याप्त राशि न होने व खाता बंद होने के कारण चेक बैंक से वापस (अनादरित) बाउंस कर दिया गया है। उसको रूपयों की बहुत आवश्यकता है आप अभियुक्त उस ऋण की रकम को अदा कर दे व अपना

31/07/26

(सुश्री रितिका विकास कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

चेक वापस कर ले तो आरोपी के द्वारा उक्त ऋण की रकम देने से इंकार कर दिया गया।

10. साक्षी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्र0पी0 4 व प्र0पी0 5 का चेक प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से दर्शित है कि प्र0पी0 4 के ए से ए भाग पर पुष्पेन्द्र पटेल के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार प्र0पी0 5 का चेक भी पुष्पेन्द्र पटेल द्वारा हस्ताक्षरित होना दर्शित है। इस प्रक्रम पर अधिनियम की धारा 118 प्रभाव में आती है, जो निम्नलिखित प्रावधानित करती है–

धारा 118. परक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणाएं– जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जायेंगी–

(क) **प्रतिफल के विषय में**– यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी।

(ख) **तारीख के बारे में,**– यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी।

11. इस प्रकम पर अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा भी आकृष्ट होती है जो प्रावधान करती है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिये प्राप्त किया है।

12. अर्थात धारा 118 का उपखंड (क) स्पष्ट प्रावधान करता है कि लिखत के प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परक्रामण या अंतरण बाबत उसे रचित या लिखी होना उपधारित किया जायेगा। साथ ही धारा 118 का उपखंड (ख) जो यह प्रावधान करता है कि, जो तारीख लिखत पर पड़ी है उसके संबंध में यह उपधारणा की जायेगी कि वह परक्राम्य लिखत उस तारीख को रचित या लिखी गयी थी। अतः अधिनियम की धारा 139 के अधीन यह उपधारणा की

31/07/26
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

जाती है कि, अभियुक्त ने चेक प्र0पी0 4 व प्र0पी0 5 परिवादी को 1,00,000/–रूपये उधार ली गयी राशि के उन्मोचन बावत् जारी किया है।

13. परंतु अधिनियम की धारा 139 के अवलोकन से यह प्रकट है कि परिवादी के पक्ष में निर्मित उपधारणा खण्डनीय उपधारणा है और विधि यह है कि अभियुक्त को उक्त उपधारणा का उसके अधिसंभाव्य बचाव के आधार पर खंडन करना होता है न कि संदेह से परे। यह भी सुस्थापित विधि है कि, अभियुक्त को अधिसंभाव्य बचाव स्थापित करने हेतु अपनी बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। वह परिवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर भी अपना अधिसंभाव्य बचाव स्थापित कर सकता है। उक्त सबंध में न्यायदृष्टांत **Basalingappa vs. Mudibasappa, AIR 2019 SC 1983** भी अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि प्रतिपादित की गई है –

14. We having noticed the ratio laid down by this Court in above cases on Sections 118(a) and 139, we now summarise the principles enumerated by this Court in following manner:-

> (i) Once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability.
> (ii) The presumption under Section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.
> (iii) To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely.

31/07/20
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

(iv) That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.
(v) It is not necessary for the accused to come in the witness box to support his defence.

15. अब देखना यह है कि क्या अभियुक्त उसके विरूद्ध आकृष्ट उपधारणा के खण्डन हेतु कोई अधिसंभाव्य बचाव प्रस्तुत करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

16. अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर विपिन कुमार गुप्ता प0सा0–1 ने बताया है कि वह आरोपी को वर्ष 2015 से जानता है। साक्षी कथन दिनांक को यह भी बता पाने में असमर्थ रहा है कि अभियुक्त ने किस वर्ष, महीना व दिनांक को गाड़ी खरीदा था। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी की गाड़ी की किश्त किस महीने और किस वर्ष में समाप्त हो गयी थी। साक्षी को यह भी ज्ञात नहीं है कि आरोपी की गाड़ी की किश्त वर्ष 2016 में समाप्त हो गयी थी और वर्ष 2017 में कोई किश्त बाकी नहीं थी। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी की गाड़ी का नंबर नहीं जानता है उसने वाद पत्र में आरोपी के वाहन का नंबर लिखाया था किन्तु उसे आज ध्यान नहीं है।

17. उक्त संबंध में अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि उसने वर्ष 2012 में अपने नाम बुलेरो क्रमांक MP 19 T 3226 को किश्त में लिया था। जिसकी किश्त उसने वर्ष 2015 में चुका दी थी, जिसकी एन0ओ0सी0 उसके द्वारा प्रकरण में प्र0डी0 1 और प्र0डी0 2 के रूप में प्रस्तुत की गयी है। साक्षी द्वारा चेक प्र0पी0 4 परिवादी को देने से इंकार किया गया एवं यह भी इंकार किया गया है कि प्र0पी0 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि उसने उक्त दोनों चेक ऋण की अदायगी हेतु परिवादी को दिया था। अभियुक्त की साक्ष्य का परिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया जा सका है।

31/07/26
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

18. अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य में अखंडित रूप से व्यक्त किया गया है कि उसने बुलेरो क्रमांक MP 19 T 3226 को वर्ष 2012 में क्रय की थी जिसकी किश्त वर्ष 2015 में चुका दी थी। प्र0डी0 1 व प्र0डी0 2 के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त के वाहन बुलेरो क्रमांक MP 19 T 3226 का ऋण जो महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेंसेस सर्विस से लिया गया था उसे संदाय कर नो ऑब्जेक्शन का प्रमाण पत्र दिनांक 27.10.2015 को प्राप्त किया गया है। प्र0डी0 1 व प्र0डी0 2 का दस्तावेज उचित रूप से हस्ताक्षरित व मुद्राकिंत है, जिसका खंडन परिवादी द्वारा नहीं किया जा सका है। उक्त दस्तावेज के आधार पर यह प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा वाहन बुलेरो क्रमांक MP 19 T 3226 का ऋण वर्ष 2015 में ही संदाय कर समाप्त किया जा चुका है।

19. परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह है कि अभियुक्त ने अपने वाहन बुलेरो क्रमांक MP 19 T 3226 के ऋण की किश्त संदाय करने हेतु उससे एक लाख रूपये की राशि उधार ली थी परंतु परिवादी द्वारा अभियुक्त के वाहन क्रय किये जाने एवं उसकी ऋण की अदायगी से संबंधित कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त के द्वारा वाहन का ऋण वर्ष 2015 में संदाय किया जाना प्रमाणित किया गया है तब उसके किश्त के भुगतान हेतु परिवादी से दिनांक 28.06.2017 को ऋण लिया जाना असमान्य प्रतीत होता है।

20. यदि तर्क हेतु मान भी लिया जाये कि अभियुक्त द्वारा उसके वाहन की किश्त का कारण देकर परिवादी से ऋण प्राप्त किया गया हो तब भी अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है कि जून 2016 से धारा 302 के केस में जेल में बंद है। वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक वह लगातार उपजेल में बंद था तथा 2021 में जमानत पर आया था। फिर सितंबर 2024 में 302 के केस में सजा होने पर केन्द्रीय जेल सतना में लगातार बंद है। उक्त संबंध में विपिन कुमार गुप्ता प.सा. 1 कथन दिनांक को साक्षी यह बताने में असमर्थ रहा कि उसकी आरोपी से अंतिम मुलाकात किस तारीख किस माह में हुई। परंतु साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी से

31/07/26
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

उसकी मुलाकात वर्ष 2017 तक निरंतर होती थी। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जून 2017 से आरोपी धारा 302 के मामले में उपजेल मैहर में बंद है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मामले में आरोपी को सजा हो गयी है जिसमें आरोपी केन्द्रीय जेल सतना में बंद है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जून 2017 से उसकी आरोपी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। तत्पश्चात साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 18 में व्यक्त किया गय है कि उसे नहीं मालूम कि दिनांक 14.09.2017 को आरोपी उपजेल मैहर में पदस्थ था।

21. विपिन कुमार गुप्ता प0सा0–1 की साक्ष्य से दर्शित है कि अभियुक्त से मुलाकात के संबंध में उसके द्वारा भिन्न भिन्न तथ्य प्रकट किये गये है। एक ओर परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसकी अभियुक्त से वर्ष 2017 तक निरंतर मुलाकात हुई है एवं दूसरी ओर प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि जून 2017 से उसकी आरोपी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। यदि परिवादी अनुसार उसकी आरोपी से जून 2017 से मुलाकात नहीं हुई है तो अभियुक्त के द्वारा दिनांक 28.06.2017 को उससे ऋण की राशि प्राप्त कर दिनांक 01.07.2017 को प्र0पी0 4 व प्र0पी0 5 का चेक दिया जाना संभव नहीं है। उक्त तथ्य की पुष्टि अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य से की गयी है कि वह वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक जेल में निरूद्ध रहा है। उक्त तथ्य के खंडन में परिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

22. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि विपिन कुमार गुप्ता प0सा0–1 द्वारा प्रतिपरीक्षण साक्षी को प्र0पी0 4 व प्र0पी0 5 दिखाकर पूछे जाने पर कि बैंक की सील के बगल में दिनांक 08.08.2017 लेख है अथवा नहीं तो साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया कि उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा है। साक्षी को यह ध्यान नहीं है कि उसने पहली बार चेक दिनांक 08.08.2017 को लगाया था और दूसरी बार दिनांक 14.09.2017 को लगाया था। परंतु यह स्वीकार किया गया है कि प्र0पी0 4 व प्र0पी0 5 में दूसरी दिनांक 14.09.2017 लेख है। साक्षी को यह भी ध्यान नहीं है कि दिनांक 08.08.2017 के बाद आरोपी से मिलकर चेक के संबंध में बातचीत किया था या नहीं।

31/07/24

(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

23. प्र.पी. 4 और प्र.पी. 5 के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त चेक में दिनांक 14.09.2017 के पूर्व दिनांक 08.08.2017 लेख कर उसे काटा गया है जिससे यह माना जा सकता है कि उक्त चेक को दिनांक 14.09.2017 के पूर्व दिनांक 08.08.2017 को प्रस्तुत किया गया है, परंतु उक्त संबंध में परिवादी द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24. प्रकरण में विपिन कुमार गुप्ता प0सा0–1 द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने उससे कभी भी एक लाख रूपये उधार नहीं लिया और न ही प्र0पी0 4 व प्र0पी0 5 का चेक आरोपी ने उसे दिया था, उसने आरोपी को पैसा व्यवहार में दिया था कर्ज में नहीं दिया था जिस पर साक्षी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उसने एक से दो महीने का समय मांगा था। अतः साक्षी द्वारा यह व्यक्त किये जाने से कि उसने आरोपी को पैसा व्यवहार में दिया था कर्ज में नही, परिवादी की साक्ष्य इस बिंदु पर खंडित पाई जाती है कि अभियुक्त के द्वारा उससे अपने वाहन की ऋण की किश्त अदायगी हेतु 1,00,000/– रूपये की राशि उधार ली गयी।

25. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर सें परिवादी विपिन कुमार गुप्ता प0सा0–1 के प्रतिपरीक्षण में सारभूत चुनौती दी गयी है, अखण्डनीय बचाव पक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा परिवादी के पक्ष में अधिनियम, 1881 की धारा 118 व 139 में उपबंधित उपधारणाओं को खंडित किया जा सका है। अतएव पूर्वोक्त विवेचन के आलोक में यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए चैक (प्रदर्श पी.–4 व प्र.पी.–5) करके जारी किया था।

26. अतः सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त द्वारा चेक प्रदर्श पी–4 व प्र0पी0 5 का राशि 50,000/– 50,000/– रूपये के भुगतान बावत् परिवादी के पक्ष में जारी न किया जाना अधिसंभाव्य भी खण्डित की गयी है। अतः उक्त विवेचना के आधार पर यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा चेक कमांक 511251 एवं 511252 प्र0पी0–4 व प्र0पी0 5 दिनांकित 01.07.2017 परिवादी को राशि एक

31/07/20
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

लाख रूपये के ऋण के भुगतान बावत् प्रदान किया था। परिणामस्वरूप विचारणीय प्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष परिवादी के पक्ष में **अप्रमाणित** पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02

27. विपिन कुमार गुप्ता प0सा0 1 के द्वारा शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया गया है कि आरोपी द्वारा चेक के भुगतान हेतु उसके बैंक में चेक जमा किये जाने पर दिनांक 14.09.2017 खाता बंद व पर्याप्त निधि न होने की टीप वापसी पश्चात उसके साथ दूसरे दिन अभियुक्त से संपर्क किया गया। प्रकरण संस्थित किये जाने के पूर्व अभियुक्त को प्रेषित रजिस्टर्ड मांग नोटिस प्र0पी0 6 में भी समान तथ्य लेख है। परंतु उक्त संबंध में प्रस्तुत अनादरण ज्ञापन प्र0पी0 3 के अवलोकन उपरांत चेक अनादरण का कारण खाता ब्लाक होना लेख किया गया है। यदि खाता ब्लाक होना या बंद होना समान मान लिया जाये तब भी उक्त मेमो में अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि न होने का कारण लेख नहीं है।

28. अभिलेख पर अनादरण ज्ञापन प्रदर्श पी.–03 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त प्रश्न के संबंध में चैक अनादरण से संबंद्ध ज्ञापन प्रदर्श पी.–03 की अंतर्वस्तु की सत्यता के संबंध में अधिनियम, 1881 की धारा–146 में प्रगणित उपबंध में वर्णित उपधारणा भी आकर्षित होती है। उक्त कार्यवाही लोक सेवक द्वारा उसके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान लेख किया गया है तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के दृष्टांत (ङ) के उपबंध के अधीन तत्संबंध में नियमित रूप से कर्तव्य निष्पादन की उपधारणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्र0पी0 3 से यह प्रमाणित होता है कि विवादित चैक खाता ब्लॉक होने के कारण अनादरित हुआ है, जबकि परिवादी द्वारा चेक अनादरण का कारण खाता बंद एवं खाता में पर्याप्त निधि न होना लेख किया गया है। तदनुसार विपिन कुमार गुप्ता प0सा0 1 की साक्ष्य व प्र0पी0 3 में भिन्नता पाई गयी जिस कारण से परिवादी की साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप यह नहीं माना जा सकता कि खाता बंद होने के कारण अभियुक्त द्वारा दिये गये चेक अनादरित हुये थे।

29. अतः सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष परिवादी के पक्ष में **अप्रमाणित** पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 एवं 04

31/07/26

(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

30. विपिन कुमार गुप्ता प0सा0 1 ने साक्ष्य में बताया है कि, अनादरण मैमो प्र0पी0 3 दिनांक 14.09.2017 को प्राप्त होने के बाद दूसरे दिन अभियुक्त से संपर्क किया गया परंतु अभियुक्त द्वारा उसे ऋण की रकम अदा करने से इंकार कर दिया गया। जिस कारण दिनांक 18.09.2017 को चेक बाउंस की रजिस्टर्ड नोटिस प्र0पी0 6 जारी कराई गयी जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुई कि नोटिस प्राप्तकर्ता अनिश्चित काल के लिये घर से बाहर है, जो कि रजिस्टर्ड ए0डी0 बंद लिफाफा प्र0पी0 1 से भी दर्शित है।

31. साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि जून 2017 से आरोपी धारा 302 के मामले में उपजेल मैहर में बंद है एवं जून 2017 से उसकी आरोपी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। साक्षी यह भी नहीं बता सकता कि उसने आरोपी के नाम से उपजेल मैहर कोई भी नोटिस भेजा था अथवा नहीं। साक्षी को यह भी ज्ञात नहीं है कि प्र.पी. 1 का नोटिस आरोपी को मिला था अथवा नहीं। साक्षी से यह पूछे जाने कि प्र0पी0 1 में जो टीप लगी है वह सही है अथवा नहीं साक्षी द्वारा व्यक्त किय गया कि उक्त दस्तावेज उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ इस कारण वह उसका जवाब नहीं दे सकता।

32. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित है कि परिवादी द्वारा दिनांक 18.09.2017 को अभियुक्त को रजिस्टर्ड मांग नोटिस प्रेषित किया गया है परंतु प्र0पी0 6 के अवलोकन से उक्त नोटिस अभियुक्त के निवास स्थान पर प्रेषित किया जाना दर्शित है। जबकि परिवादी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त जून 2017 से जेल में निरूद्ध है। ऐसी स्थिति में यह दर्शित है कि परिवादी को यह जानकारी होते हुये भी कि अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, उसके द्वारा उक्त नोटिस उसके स्थानीय पते पर प्रेषित किया गया । इसके अतिरिक्त, प्र0पी0 1 इस टीप के साथ प्राप्त होने पर कि ''प्राप्तकर्ता अनिश्चितकालीन के लिये घर से बाहर है'' परिवादी द्वारा उक्त नोटिस अभियुक्त को जेल में तामील कराये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है बल्कि परिवादी साक्षी द्वारा प्र0पी0 1 से अनभिज्ञता व्यक्त की गयी है। परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस प्राप्त होने का तथ्य भी स्पष्टतः लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को प्र0पी0 6 का नोटिस प्राप्त होना नहीं माना जा सकता।

31/07/26

(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

33. हस्तगत प्रकरण में अनादरण मेमो प्रदर्श पी–3 प्राप्त होने के बाद दिनांक 18.09.2017 को अभियुक्त को मांग नोटिस भेजा जाना बताया है, जो कि अधिनियम की धारा 138(ख) के अधीन 30 दिवस के भीतर प्रेषित किया परंतु अभियुक्त को उक्त नोटिस प्राप्त होना प्रकरण में प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः उक्त विधिक स्थिति के आलोक में यह अप्रमाणित है कि परिवादी ने विहित समयावधि में मांग सूचना पत्र प्रदर्श पी–6 अभियुक्त पर निर्वाह किया।

34. जहां तक मांग सूचना पत्र प्र0पी0 6 के अभियुक्त पर निर्वाह के 15 दिवस की अवधि के भीतर अभियुक्त द्वारा परिवादी को शोध्य राशि का भुगतान किये जाने का प्रश्न है, उक्त संबंध में परिवादी द्वारा परिवाद एवं शपथपत्रीय साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में न तो अभियुक्त को उक्त नोटिस प्राप्त होने का कथन किया गया है और न ही यह कथन किया गया है कि उक्त नोटिस प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अभियुक्त द्वारा कथित राशि संदाय नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर चेक की राशि संदाय किये जाने का प्रश्न औचित्यहीन है। अतः यह अप्रमाणित पाया जाता है कि मांग सूचना पत्र के अभियुक्त पर निर्वहन होने के 15 दिवस की अवधि के भीतर अभियुक्त द्वारा चेक प्र0पी0–4 एवं प्र0पी0–5 की राशि 50,000–50,000/–रूपये परिवादी को भुगतान नहीं की गई।

35. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह दर्शित है कि प्रकरण में अप्रमाणित है कि अनादरण की सूचना प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि के भीतर लिखित मांग सूचना पत्र अभियुक्त पर निर्वाह किया, व यह भी प्रमाणित नहीं है मांग सूचना पत्र के अभियुक्त पर निर्वाह के 15 दिवस की अवधि के भीतर अभियुक्त द्वारा परिवादी को शोध्य राशि का भुगतान नही किया गया है। परिणामस्वरूप विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 व 4 का निष्कर्ष परिवादी के पक्ष में **अप्रमाणित** पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05

36. इस प्रक्रम पर अधिनियम की धारा 142 का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रकट होता है। उक्त धारा परिवाद प्रस्तुति हेतु समय सीमा, संज्ञान के संबंध में प्रावधान करती है, जो निम्नानुसार है–

31/07/24
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

142. Cognizance of offences.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),—

(a) no court shall take cognizance of any offence punishable under section 138 except upon a complaint, in writing, made by the payee or, as the case may be, the holder in due course of the cheque;

(b) such complaint is made within one month of the date on which the cause of action arises under clause (c) of the proviso to section 138:

[Provided that the cognizance of a complaint may be taken by the Court after the prescribed period, if the complainant satisfies the Court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period;] (c) no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under section 138.]

37. यह सुस्थापित विधि है कि अधिनियम के अधीन वाद कारण तब उत्पन्न होता है जब अभियुक्त पर मांग सूचना पत्र तामील/निर्वहित हो जाने की दिनांक से 15 दिवस तक अभियुक्त चेक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करता है। अर्थात् अधिनियम के अधीन मांग सूचना पत्र तामील/निर्वहित होने की दिनांक से 15 दिवस पश्चात् वाद कारण उत्पन्न होता है। अधिनियम की धारा 142(ख) के अनुसार वाद कारण दिनांक से 1 माह के भीतर परिवाद प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है।

38. हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त को रजिस्टर्ड मांग पत्र व रजिस्टर्ड मांग नोटिस उचित रूप से निर्विवहित किया जाना नहीं पाया गया है। हस्तगत परिवाद दिनांक 24.10.2017 को प्रस्तुत किया गया है। परंतु मांग सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक अनिश्चित होने से प्रकरण में यह अस्पष्ट है कि अधिनियम के अधीन परिवाद प्रस्तुत करने का वाद कारण किस दिनांक को उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में यदि 15 दिवस की गणना किया जाना संभव नहीं है। उक्त कारण से हस्तगत परिवाद अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

31/07/26

(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

39. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर धारा 138 के प्रावधानानुसार परिवादी द्वारा विहित समयावधि में परिवाद प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित नहीं है। परिणामस्वरूप विचारणीय प्रश्न कमांक 5 का निष्कर्ष परिवादी के पक्ष में **अप्रमाणित** पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 06

40. पूर्वोक्त विवेचना के अधीन अभियुक्त का दायित्व अधिनियम की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध के सबंध मे युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं होता है, फलतः अभियुक्त पुष्पेन्द्र पटेल पिता सौखीलाल पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम हटवा (सगौनी) नई बस्ती थाना/तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 को उक्त अपराध हेतु **दोषमुक्त** किया जाता है।

41. अभियुक्त के प्रतिभूति पत्र व बंधपत्र छः माह पश्चात भारमुक्त होंगे।

42. अभियुक्त की निरोध अवधि निरंक (दिनांक 13/03/26 से 31/07/26 है) है। इस संबंध मे धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(हस्ताक्षर) 31/07/26
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना म.प्र.

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(हस्ताक्षर) 31/07/26
(सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अमरपाटन, जिला सतना म.प्र.